योजना

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत म0प्र0 की ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत नागरिकों की संपत्तियों का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया गया है। तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार किये गये हैं। मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 02.06.2026 के आइटम क्रमांक 01 के अनुपालन में शासन की योजना **स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026** का शुभारंभ दिनांक 17.09.2026 को किया गया है।

योजना के विस्तृत निर्देश म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 2860/MPLRS/2026, भोपाल, दिनांक 24.09.2026 द्वारा जारी किये गये हैं।

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले स्वामित्व अभिलेखधारियों के पक्ष में हस्तांतरण अभिलेखों के निष्पादन एवं निःशुल्क पंजीयन (रजिस्ट्री) सुनिश्चित करना है।

योजना की पात्रता

ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भारत सरकार की यह योजना दिनांक 24.04.2020 के तहत आबादी भूमि पर निर्मित भूमिस्वामी अधिकार अभिलेखों में जिन निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये गये हैं, वे इस योजना के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख के विलेंखों के निष्पादन एवं पंजीयन हेतु पात्र होंगे।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनका समाधान

प्रश्न – क्या मध्यप्रदेश में "**स्वामित्व योजना**" **के** अन्तर्गत ग्रामीण आबादी भूमि के राजस्व संबंधी खसरा एवं नक्शा तैयार किये गये हैं ? एवं क्या खसरे में भूमिस्वामी का नाम दर्ज कर भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया है ?

उत्तर – हां। म0प्र0 में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2020 से 2024 तक आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार कर उनके खसरा एवं नक्शा का निर्माण कर भवन/निस्तार का स्वामित्व प्रदान किया गया है।

प्रश्न – यह अधिकार अभिलेख कैसे तैयार किया गया है।

उत्तर – आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ड्रोनफ्लाई के माध्यम से वृहत स्तर पर आबादी भूमि का मानचित्रण किया गया है। पुरानी आबादी के आधार पर चूने की लाईन डाली गई एवं उसका ग्राम मानचित्र तैयार किया गया। पटवारी, कोटवार एवं ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया है। फिर उसका डिजिटलाईजेशन किया गया है। तत्पश्चात् स्वामित्व के खसरे एवं नक्शों का निर्माण किया गया है।

प्रश्न – क्या ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में स्थित सभी आवासीय संरचनाओं को यथा मकान/निस्तार, मंदिर, पूजास्थलों का भी सर्वेक्षण किया गया हैं? उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है।

उत्तर – हॉ जो भी आवासीय संरचनाएँ आबादी में बनी हुई थीं उन सभी का ड्रोनफ्लाई से सर्वेक्षण किया जाकर उनका सत्यापन ग्राम के पटवारी द्वारा किया जाकर खसरे में भूमिस्वामी का नाम दर्ज किया गया है।

प्रश्न– हमारे गॉव में एक जैन मंदिर बहुत प्राचीन समय से आबादी क्षेत्र में बना है। लेकिन जब हमने इसका रिकार्ड ऑनलाईन वेब जीआईएस0–2.0 https://webgis2.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर चैक किया एवं पटवारी जी के पास मोबाइल में भी देखा तो वहॉ खसरे में शासकीय दर्ज आ रहा है। यह शासकीय दर्ज क्यों है? एवं यह कैसे हुआ है?

उत्तर – मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत अभिलेख – **खसरा** कहलाता है। इसके प्रारूप एक (नियम–6) "मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख) नियम 2020" के अंतर्गत यह स्वामित्व का अधिकार संबंधी अभिलेख सन् 2020 से 2024 तक तैयार किया गया है। इसमें कुल 12 कॉलम हैं कॉलम नंबर 01 में भूमि की एक यूनिक आईडी जो 10 अंकों की है। कॉलम नंबर 02 में सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक दिया गया है। कॉलम नंबर 03 में भू–खण्ड संख्यांक/प्लॉट संख्या दी गई है। कॉलम नंबर 04 में वर्गमीटर में कुल क्षेत्रफल एवं भू–राजस्व दर्ज है। एवं कॉलम नंबर 05 में **भूमिस्वामी का नाम**/निवास का पता या शासकीय भूमि दर्ज है। कॉलम नंबर 05 में सर्वे के दौरान भूमिस्वामी का नाम ज्ञात नहीं होने पर ग्राम के पटवारी द्वारा त्रुटिवश उसे शासकीय दर्ज कर दिया गया है।

प्रश्न – उस भूमि पर तो सैकड़ों वर्षों से हमारा मंदिर आदि बना हुआ है एवं निरंतर कब्जे में है। यह शासकीय भूमि भी नहीं है **अपितु आबादी** भूमि है ऐसी स्थिति में अब इसका रिकार्ड सुधार किस प्रकार से होगा ? क्या वर्तमान समय में म0प्र0 सरकार जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमिस्वामियों को निःशुल्क रजिस्ट्री करा रही है इसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम पर होगी या नहीं होगी। यदि रजिस्ट्री मंदिर के नाम पर नहीं होगी तो मंदिर के व्यवस्थापकों को सुधार कराने हेतु किस रूप में प्रयास करना होगा?

उत्तर– यह बात सही है कि म0प्र0 सरकार जो अभी 17 सितम्बर सन् 2026 से स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेखों की निःशुल्क रजिस्ट्री करा रही है। अभी वह भूमि शासकीय दर्ज होने से मंदिर/ट्रस्ट के नाम पर रजिस्ट्री नहीं होगी। सबसे पहले समाज के व्यवस्थापकों को उसका रिकार्ड सुधार कराना पड़ेगा। यह रिकार्ड सुधार हमें स्वयं कराना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा।

प्रश्न – स्वामित्व रिकार्ड सुधार कैसे होगा? इसके लिये क्या कोई आवेदन एवं दस्तावेज देने होंगे? आवेदन कहॉ देना होगा?

उत्तर – म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की नवीन संशोधित धारा 115 के अंतर्गत वर्तमान में खसरे में **शासकीय** भूमिस्वामी दर्ज होने से यह आवेदन आपके जिले के कलेक्टर महोदय/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में देना पडेगें। आवेदन के साथ वर्तमान के स्वामित्व का खसरा, जो आपको ग्राम के पटवारी के पास मिल जायेगा, उस खसरे के साथ मंदिर/ट्रस्ट आदि समिति के दस्तावेज फोटोग्राफ्स/शपथपत्र के साथ आवेदन करना पड़ेगें। आपका यह आवेदन कलेक्टर महोदय/अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में दर्ज होकर आपके यहॉ के तहसीलदार साहब के पास जॉच हेतु आयेगा। तहसीलदार साहब तत्संबंधी हल्का पटवारी से जॉच प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेकर अपनी रिपोर्ट/प्रतिवेदन अनुशंसा सहित

अनुविभागीय अधिकारी महोदय(एस0डी0एम) के माध्यम से जिले के कलेक्टर महो0 को भेजेंगे। कलेक्टर महोदय का समाधान हो जाने के पश्चात् कलेक्टर महोदय–भूमिस्वामी के कॉलम नंबर 05 में "शासकीय" शब्द को हटाकर मंदिर/ट्रस्ट के नाम के साथ उनके अध्यक्ष/व्यवस्थापक का नाम दर्ज करने का आदेश करेंगे। उस आदेश को तहसीलदार साहब कम्प्यूटर में दर्ज कराकर रिकार्ड सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। जहॉ से रिक्वेस्ट अप्रूव होने के पश्चात् ही खसरे में नाम सुधार होगा। एवं कॉलम नंबर 05 भूमिस्वामी के स्थान पर आवेदक ट्रस्टी/व्यवस्थापक का नाम आ जायेगा। इसके पश्चात् ही स्वामित्व योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रजिस्ट्री हो सकेगी।

प्रश्न – क्या मंदिर के नाम के साथ – द्वारा में अध्यक्ष/ट्रस्टी/व्यवस्थापक/मुहत्तमकार का नाम भी लिखना पड़ेगा?

उत्तर – हॉ। क्योंकि जब रजिस्ट्री होगी, तो जिसके नाम पर रजिस्ट्री होगी उसका आधार कार्ड, समग्र आईडी भी लगेगी। इसकी पहले ईकेवाईसी होगी। अतः मंदिर या ट्रस्ट के नाम के साथ द्वारा में अध्यक्ष/ट्रस्टी/व्यवस्थापक/मुहत्तमकार का नाम लिखा जाना चाहिए। अन्यथा रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी।

प्रश्न– क्या यह योजना नगरीय/शहरी क्षेत्रों में भी लागू है?

उत्तर– नहीं। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर स्वामित्व योजना के नाम से है।

इस योजना से संबंधित राज्य स्तर पर हेल्प डेस्क एवं टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 0755–2780133 पर कोई भी परामर्श किया जा सकता है।

––00––

// मार्गदर्शन हेतु संपर्क नंबर– "**7000323470**" (केवल व्हॉट्सएप पर प्राप्त संदेशों का जबाव संदेश के माध्यम से ही दिया जायेगा)//

//आवेदन का प्रारूप//

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुभाग जिला.....म0प्र0।

विषय– स्वामित्व योजना अन्तर्गत तैयार राजस्व अभिलेख में म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 नवीन संशोधित 2018 की धारा 115 अंतर्गत रिकार्ड सुधार वावत्।

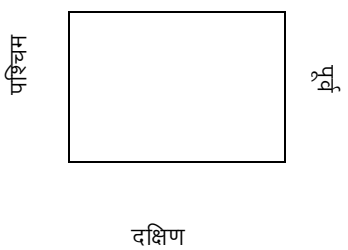
महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि श्री

..... मंदिर/धर्मशाला जो प0ह0न0ग्राम तहसील..... जिला में सर्वेक्षण संख्या प्लॉट नंबरकुल रकवा वर्गमीटर पर ग्राम की आबादी भूमि में स्थित है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्राम की आबादी में ड्रोनफ्लाई सर्वे के दौरान आवेदक को जानकारी दिये बगैर सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण क्रमांकप्लॉट नंबर कुल रकवा वर्गमीटर भूमि को राजस्व अभिलेख के खसरे में त्रुटिवश शासकीय दर्ज कर दिया गया है, जबकि उक्त पुरानी आबादी में स्थित भूमि पर मंदिर लगभग वर्षों से बना हुआ है। जिसकी हम सभी धर्मावलंबी जन पूजा अर्चना करते आ रहे है। एवं वर्षों से समाज का निरंतर कब्जा भी है। चूंकि म0प्र0 शासन द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत पुरानी आबादी में सभी संरचनाओं एवं भूमिस्वामियों को स्वामित्व के पट्टे प्रदाय कर उनको भूमिस्वामी अधिकार (आर0ओ0आर0) प्रदाय किये गये है। एवं ग्राम के स्वामित्व के खसरे में भूमिस्वामी का नाम दर्ज किया गया है। अतः म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 नवीन संशोधित 2018 की धारा 115 अंतर्गत प0ह0न0 के सर्वेक्षण संख्यां प्लॉट संख्या कुल रकवातहसील जिलामें स्थित भूमि का स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार खसरे में रिकार्ड अध्यक्ष/व्यवस्थापक के नाम दर्ज करने का कष्ट करें।

भूमि की चौहद्दी



संलग्नः– खसरा वर्ष 2025–26
शपथपत्र
फोटोग्राफ्स

आवेदक
अध्यक्ष/व्यवस्थापक
.....

तहसील..... जिलाम0प्र0